न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव , आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 11/23 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2023/107

उनवान

शाहिद अली उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी नर सिंह रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. अब्दुल सईद
2. आरिफ अली
3. राशिद अली
4. शकील अहमद

} पुत्रगण स्व0 अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी नर सिंह रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

5. दिलीप बंसल पुत्र भीकमचन्द जाति वैश्य निवासी महमपाडा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर।
6. लोकेश पुत्र बृजमोहन जाति वैश्य निवासी पुराना बाई पास बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
7. विमला अग्रवाल पत्नी सुरेशचन्द जाति वैश्य निवासी बृजेश स्कूल के पास हौद बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब तहसील बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 14.08.2023 मि.नं. 53/23 उनवानी शाहिद अली बनाम अब्दुल सईद।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेश श्रीवास्तव वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री निशान्त भार्गव वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक–24.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 14.08.2023 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार

खातेदार काश्तकार हैं तथा आपस में खास सगे भाई हैं। विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः आये दिन सम्मिलित काश्त करने एवं काश्त में होने वाले खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः विवादित आराजी का विधिवत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत करते हुये मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश कानून व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी रैस्पो0 ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण कार्यालय से तलव कर प्रार्थी अपीलाण्ट को बिना सुने प्रकरण में दिनांक 14.08.2023 नियत कर दी गयी एवं दिनांक 14.08.2023 को आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के उल्लंघन का हवाला देते हुये, पूर्व में जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया। जबकि आदेश 39 नियम 4 सीपीसी की पालना हेतु दिनांक 04.09.2023 तक का समय था। परन्तु उक्त दिनांक से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। एक पक्षीय स्थगन आदेश निरस्त होते ही विवादित आराजी को रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 ने रैस्पो0 संख्या 05 लगायत 07 को विक्रय कर दिया एवं दिनांक 18.08.2023 को नामान्तकरण भी हो गया। दिनांक 14.08.2023 को आदेश पारित करने के बाद प्रकरण में दिनांक 16.08.2023 लगाने का कोई औचित्य ही नहीं था क्योंकि प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2023 को ही निर्णित हो गया। अपीलाधीन निर्णय में आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के उल्लंघन का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि आदेशिका में आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। आदेशिका दिनांक 14.08.2023 में लिखावट ना तो रीडर की है एवं ना ही पीठासीन अधिकारी की है। रैस्पो0 संख्या 05 लगायत 07 अजनबी क्रेतागण हैं एवं वह विक्रय पत्र की आड में अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमदा हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीालधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के प्रावधानो के तहत अस्थाई स्थगन प्राप्त करने वाले ही दिन, प्रार्थी को अप्रार्थी की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस देना अनिवार्य होता है। यदि 30 दिवस में अप्रार्थी की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये हो तो न्यायालय को प्रकरण में अंतिम निर्णय करना होता है। शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
सहायक कलक्टर अधिकारी
भरतपुर कैम्प-भरतपुर

की पुश्त पर अपीलाण्ट के अभिभाषक की तलवी हेतु नोटिस जारी करने का उल्लेख है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2023 की रोज उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं। शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र की नकल भी अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा ली गयी है। मूल दावा बॅटवारे का है। रैस्पो0 ने अपना हिस्सा ही विक्रय किया है। विभाजन के दावा में अपीलाण्ट ने मुंतकिली प्रार्थना पत्र लगा दिया, ताकि दावा की कार्यवाही स्थगित हो जाये एवं स्थगन लम्बा चलता रहे। विवादित आराजी में उभयपक्षकारान सहखातेदार हैं एवं एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में यह अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा आदेश 39 नियम 4 सीपीसी की पालना नहीं की गयी है। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.07.2023 अपास्त किये जाकर, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। परन्तु अपीलाधीन आदेश में उक्त तथ्य बाबत् कोई विवेचना नहीं की गयी है। इसके अलावा प्रकरण में रैस्पो0 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण में पूर्व निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 04.09.2023 के स्थान पर दिनांक 14.08.2023 निर्धारित कर दी गयी एवं दिनांक 14.08.2023 को प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। जहॉ तक प्रकरण में आदेश 39 नियत 4 सीपीसी की पालना नहीं किये जाने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 25.07.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुये रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड तलवाना प्रस्तुत करने हेतु अग्रिम पेशी दिनांक 04.09.2023 निर्धारित की गयी है। अतः अपीलाण्ट के पास रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रस्तुत करने का दिनांक 04.09.2023 तक समुचित अवसर था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो उचित नहीं है। दौराने अपील न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि रैस्पो0 द्वारा विवादित भूमि का विक्रय रैस्पो0 संख्या 05 लगायत 07 को किया गया है। उक्त तथ्य को दौराने बहस रैस्पो0 भी स्वीकारते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार पक्षकारानो के मध्य वाद विवाद ना बढे एवं दौराने वाद विवादित आराजी पुनः खुर्द–बुर्द ना हो। अतः हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः अधिकतम दो माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें, तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 14.08.2023 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील-अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 29.10.2024 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर